राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 48/2018/नागौर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–33/2013/नागौर)

2. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 49/2018/नागौर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–34/2013/नागौर)

मैसर्स सरोज एण्ड कम्पनी, नागौर. .....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–नागौर. .....अप्रार्थी.

खण्डपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अधिवक्ता .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 01/11/2018

निर्णय

1. प्रार्थी व्यवहारी द्वारा यह दोनों परिशोधन प्रार्थना–पत्र राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 33/2013 व 34/2013/नागौर में पारित किये गये संयुक्त निर्णय दिनांक 31.07.2017 में संशोधन हेतु प्रस्तुत किये गये हैं। माननीय खण्डपीठ द्वारा उक्त निर्णय से उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के आदेश दिनांक 19.11.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कर व ब्याज की पुष्टि की गयी एवं धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है।

2. उक्त अंकित अपीलीय आदेशों के जरिये अपीलार्थी की अपीलों को अस्वीकार कर उनके द्वारा बिक्रीत वस्तु 'ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी' पर 14 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय होने की पुष्टि की गयी थी, परन्तु अपीलों की सुनवाई के समय विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत यह तथ्य निर्णय में अंकित नहीं हुए कि अपीलार्थी द्वारा जो माल विक्रेता व्यवहारी से खरीद किया गया था उस विक्रेता ने पूर्ण दर से कर जमा करवा दिया है, उसका आई.टी.सी. क्लेम धारा 18 एवं नियम 18(1) अनुसार प्रार्थी व्यवहारी को दिया जाना चाहिये। अतः उक्तानुसार संशोधन किये जाने हेतु प्रार्थी व्यवहारी की ओर से ये परिशोधन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक एवं राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस सुनने के पश्चात् उक्त निर्णयों में संशोधन कर यह अंकित किया जाता है कि –

लगातार.....2

"कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा अपील संख्या 1018—1022/2012/जयपुर निर्णय दिनांक 18.9.2017 में दिये गये निर्देशानुसार ही इन प्रकरणों में भी, यदि व्यवहारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 18 की शर्तों की पूर्ति की जाती है तथा आवश्यक इन्वॉयस एवं अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं तो इस सम्बन्ध में विधिक प्रावधानों अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।"

4. फलतः अपीलार्थी व्यवहारी के दोनों संशोधन प्रार्थना—पत्र स्वीकार कर उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

5. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य